



**LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR  
VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW  
PERMIT TO BULD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA-  
LUCKNOW**

PRINT DATE : 24/05/2019

APPLICATION 54453

WARD: .....

PERMIT NO: 43076

SITE OF LAY OUT

SECTOR: .....

NAME: WORLD INFRA TECH PVT LTD & MUKESH K SHRIVAS

Address: 255/93, KUNDRY RAKAB GANJ, LKO

FILE NO : R-309/EE/M CELL/2018

SCHEME : NonScheme-MapApproval

PROPERTY KH.NO 2899, 2900, 2910 TO 2917,  
2923, BAKKAS, SULTANPUR ROAD

Sanction vide order dated 25/03/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of 24/03/2024 or expiry date of Lease deed whichever is earlier

Restriction If Required: माताचल के कुछ भाग पर चढ़ा  
सभी परिवारों का पालन काला अनिवार्य है।

Signature of Competent Authority (BHAWAN)  
Under the U.P

: प्रतिबंध :

1. भूस्वामित्व तथा भूमि वाद-विवाद एवं भूमि की चौहददी के सम्बन्ध में प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। विकासकर्ता उसी भूमि पर विकास/निर्माण कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है।
2. विकास पूर्ण करने के उपरान्त पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
3. तलपट मानचित्र में प्राविधानित सुल्तानपुर रोड हेतु दर्शित मार्ग विस्तार भूमि एवं 50.00 मी० चौड़ी दर्शित हरित पट्टी भूमि को हमेशा रिक्त रखना होगा।
4. प्रत्येक भूखण्ड के अलग से मानचित्र स्वीकृति कराकर ही निर्माण किया जायेगा। समूह आवास भूखण्ड का मानचित्र स्वीकृत कराते समय समूह आवास ईकाइयों के सापेक्ष वांछित ई०डब्ल्यूएस०/एल०आई०जी० भवनों का प्राविधान किया जायेगा या शासनादेश के तहत सेल्टर फीस ~~वेस होगी।~~ **टी गयी है।**
5. वाह्य विकास शुल्क जमा होने तक कराये गये रजिस्टर्ड बंधक पत्र एवं मानचित्र में दर्शित 13 भूखण्डों का विक्रय नहीं किया जायेगा।
6. समस्त अवस्थापना सुविधाएं विकसित करते हुये नगर निगम को हस्तान्तरित करने से पूर्व रख-रखाव करना होगा तथा नगर निगम को हस्तान्तरित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं पक्ष का होगा।
7. प्रस्तावित कालोनी हेतु आवश्यक कनेक्टिविटी आवेदक/विकासकर्ता को अपने व्यय पर कराना होगा।
8. प्रश्नगत कालोनी के विकास हेतु किसी अन्य विभाग की यदि अनापत्ति आवश्यक हो तो अनुमति आवेदक/विकासकर्ता को अपने स्तर से प्राप्त करना अनिवार्य है।
9. मौके पर स्वीकृति सम्बंधी विवरण अंकित एक सूचनापट् स्थापित करना अनिवार्य है।
10. निर्माण अवधि में लेबर एक्ट तथा नेशनल सेफ्टी काउंसिल के प्राविधानों का पालन करना होगा।
11. भविष्य में यदि कोई देयता निकलती है तो मांगे जाने पर प्राधिकरण खाते में अविलम्ब जमा करना होगा।
12. निर्माण आरम्भ करने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण आरम्भ करने की सूचना देना होगा।
13. मौके पर शासनादेश के अनुसार लैण्ड स्केप एवं वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।  
यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

14. **NHA) डाय निगम अनापत्ति की शर्त का पालन**  
**करना होगा।**

**HP**



**LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH**  
**VIPIN KHAND GOMTI NAGAR, LUCKNOW**  
**PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA LUCKNOW**

PRINT DATE - 16/09/2019

FILE NO. NR-171/AA/M.CELL/19

SCHEME : BAKKAS

PROPERTY: KHASRA NO.-2899,2900  
ETC. BAKKAS, LUCKNOW.

WARD :  
PERMIT NO. : MAP-20190713104235253  
SITE OF : COMMERCIAL  
NAME : M/S UNIWORLD INFRATEC PVT. LTD, & MUKESH SRIVAS  
ADDRESS : A-73 THRD FLOOR, SECTOR-2, NOAIDA  
GAUTAM BUDDH NAGAR, U.P.

Sanction vide order dated 12/09/2019 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below.

**Date of Validity** : 11/09/2024

**Restriction if required** : पृष्ठ भाग पर अंकित प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।

  
**Signature of Competent Authority (BHAWAN)**  
**Under the U.P.**

प्रतिबन्ध-

1. स्वीकृत तलपट मानचित्र परमिट सं०-43076 दि० 25.03.2019 पर अंकित सभी प्रतिबन्धों का पालन करना होगा
2. भवन निर्माण सामग्री अपने परिसर में ही रखी जायेगी, इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।
3. भू-स्वामित्व, चौहददी तथा भूमिवाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
4. इस स्वीकृति का सम्बन्ध प्रस्तावित निर्माण के किसी स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं सेफटी से नहीं है।
5. यदि भविष्य में कोई देयता निकलती है तो मांगे जाने पर प्राधिकरण खाते में अविलम्ब जमा करना होगा।
6. मौके पर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य है।
7. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना होगा।
8. मौके पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है।
9. पार्किंग स्थल का उपयोग पार्किंग के रूप में ही करना होगा, अन्य उपयोग करने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. निर्माण पूर्ण करने के पश्चात प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है तदोपरान्त भवन के उपयोग आदि की अनुमति दी जायेगी।
10. स्माग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें तिरपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
11. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

